

न्यायालय नायब तहसीलदार, गंगापुर सिटी (जिला- सवाई माधोपुर)

मु.नं. : 55/2019

तारीख रजू : 18/09/2019

निर्णय दिनांक :27-Sep-19

सरकार बनाम मुरारी


-: निर्णय :-

पत्रावली पेश हुई । प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का बाढ़कलां ने एक रिपोर्ट इस आशय की प्रस्तुत की है कि श्री मुरारी पुत्र श्री जगराम जाति मीना निवासी अरनिया ने खसरा नं. 19/1244 रकबा 0.28 है0 किस्म गै.मु.चारागाह वाके ग्राम अरनिया पर संवत् 2076 में अनाधिकृत रूप से कब्जा/फसल काशत कर अतिचार किया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अतिक्रमी को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 का नोटिस जारी व्यक्तिगत सुनवाई व सबूत पेश करने का विधिवत् रूप से समुचित अवसर दिया गया।


पटवारी हल्का उपस्थित। अतिक्रमी उपस्थित ।

उपस्थित पटवारी हल्का ने अतिक्रमण के संबंध में अपनी रिपोर्ट की रिकॉर्ड से तार्द की एवं जमाबंदी का अवलोकन कराया। पटवारी हल्का ने अतिचारी के विरुद्ध कार्यवाही की इस्तदुआ की। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। गैरसायल का आराजी प्रश्नगत पर अतिचार प्रमाणित है। पटवारी हल्का द्वारा पश्चात्वर्ती अतिक्रमण के संबंध में कोई साक्ष्य/सबूत पेश नहीं किया है किन्तु अतिचारी का अतिचार प्रमाणित होता है। अतः उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाती है एवं गैरसायल को आराजी मुतनाजा से बेदखल किया जाता है एवं इन पर लगान 3.11 की 50 गुनी शास्ति 156/- आरोपित की जाती है। पटवारी हल्का व गिरदावर वृत्त अतिचारित कब्जे को नियमानुसार ध्वस्त कर नीलाम करें एवं पालना रिपोर्ट पृथक् से दें। तहसील राजस्व लेखाकार एवं पटवारी हल्का से माँग कायमी करवाई जावे। गिरदावर वृत्त व पटवारी हल्का को पालनार्थ पृथक् से लिखा जावे। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दपतर हो।

निर्णय आज दिनांक 27-Sep-19 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।


नायब तहसीलदार
गंगापुर सिटी

रजिस्टर "घ" के पेज संख्या 141 पर
रुपये 156/- की कायमी वर्ष 2019-20
की गई।


तहसील राजस्व लेखाकार